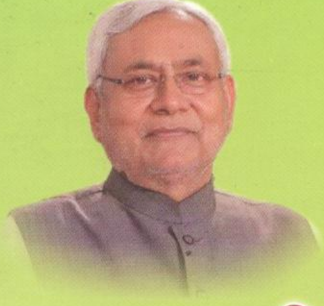

बिहार सरकार

अनुसूचित जाति
एवं
अनुसूचित जनजाति कल्याण
एवं
विकास

बिहार सरकार की विशेष पहल

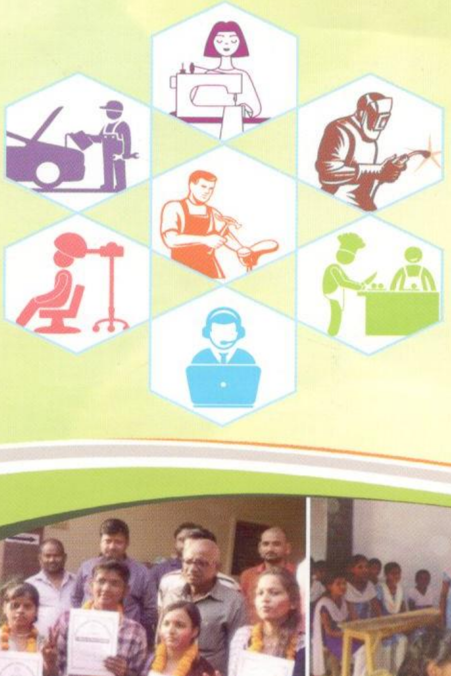

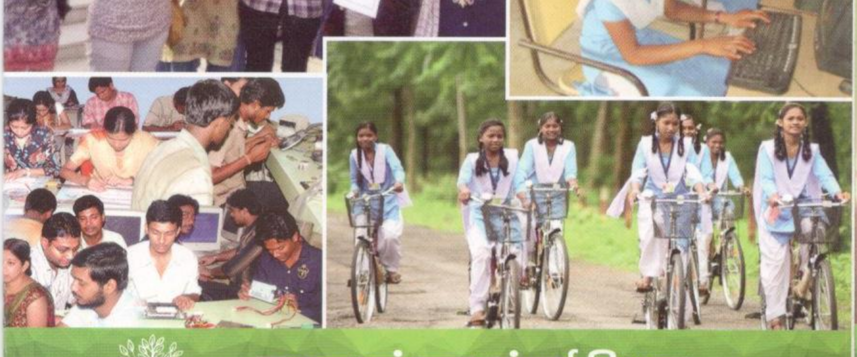

सूचना एवं जन-संपर्क विभाग

बिहार सरकार

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण

विद्यालय छात्रवृत्ति योजना

- ✓ राज्य के सरकारी, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, स्थापना प्रस्वीकृति विद्यालयों में वर्ग–1 से वर्ग–10 तक में अध्ययनरत सभी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को विद्यालय छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत कक्षा 1–4 तक के विद्यार्थियों को 50 रु०, कक्षा 5–6 के विद्यार्थियों को 100 रु०, कक्षा 7–10 तक के विद्यार्थियों को 150 रु० तथा कक्षा 1–10 तक (छात्रावासी) के विद्यार्थियों को 250 रु० की राशि दी जाती है।
- ✓ वर्ष 2017–18 में वर्ग–1 से वर्ग–10 तक के विभिन्न छात्रवृत्ति मदों में कुल 484.08 करोड़ रु० की स्वीकृति प्रदान की गई जिससे लगभग 36,49,375 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2018–19 में विभिन्न छात्रवृत्ति मदों में कुल रु० 477.14 करोड़ की स्वीकृति दी गई।
- ✓ इस योजना की विस्तृत जानकारी http://www.scstwelfare.bih.nic.in से प्राप्त की जा सकती है।

प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना

- ✓ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं को उच्च शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत निर्धारित दर पर छात्रवृत्ति दी जाती है। इसका लाभ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के वैसे सभी छात्र–छात्राएं उठा सकते हैं, जिनके अभिभावक की अधिकतम वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये है।
- ✓ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत निर्धारित मापदण्डों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं विगत वर्षों में राज्य के अंदर सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों एवं राज्य के बाहर सभी सरकारी एवं मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं को संबंधित राज्य के सरकारी संस्थान में निर्धारित शिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क की दर पर छात्रवृत्ति की राशि अनुमान्य होती है।
- ✓ केंद्रीय सरकारी शिक्षण संस्थानों (यथा–आई०आई०टी० तथा एन०आई०टी० में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए निर्धारित वार्षिक शिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क सहित अधिकतम क्रमशः 90,000 रु० तथा 70,000 रु० की दर) एवं अन्य केंद्रीय शिक्षण संस्थानों यथा–नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, एन०आई०एफ०टी०, जे०आई०पी०एम०ई०आर०, एम्स आदि में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के लिए निर्धारित वार्षिक शिक्षण एवं अनिवार्य शुल्क सहित अधिकतम सीमा 75,000 रु० की दर पर छात्रवृत्ति अनुमान्य है।
- ✓ वर्ष 2016–17 में 46,500 छात्र/छात्राओं को इस योजना के तहत लाभान्वित किया गया था। वर्ष 2017–18 में 1,17,657 आवेदन प्राप्त हुए है जिसकी स्वीकृति की कार्रवाई चल रही है।
- ✓ इस योजना की विस्तृत जानकारी http://www.scstwelfare.bih.nic.in से प्राप्त की जा सकती है।

मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना

- ✓ यह योजना वर्ष 2008–2009 से प्रारंभ की गई है जिसके तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से 10वीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से मैट्रिक पास करने पर 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसी प्रकार 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर 15,000 रुपए दिया जाता है। वर्ष 2012 में इस योजना का विस्तार करते हुए 10वीं कक्षा में द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं को 8000 रूपए की प्रोत्साहन राशि तथा 12वीं कक्षा में द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर छात्राओं को 10,000 रूपए प्रोत्साहन राशि देना प्रारंभ किया गया है।
- ✓ इस योजना का कार्य शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है जिसके तहत वर्ष 2017–18 में कुल 69,633 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।
- ✓ वर्ष 2018–19 में मैट्रिक मद में अनु० जाति के छात्र–छात्राओं के लिए 63 करोड़ रु० एवं अनु० जनजाति के लिए 8.2 करोड़ रु० तथा 12वीं मद में अनु० जाति के लिए 20 करोड़ रु० एवं अनु० जनजाति के लिए 3 करोड़ रु० की राशि का बजट प्रावधान है।
- ✓ इस योजना की विस्तृत जानकारी http://www.scstwelfare.bih.nic.in से प्राप्त की जा सकती है।

मुसहर एवं भुईया जाति के बच्चों को छात्रवृत्ति

- ✓ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा मुसहर एवं भुईया जाति के लोगों में शिक्षा के प्रसार हेतु विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इन वर्ग के बच्चों को विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए विशेष प्रोत्साहन के रूप में 100 रु० प्रतिमाह वर्ग 1 से 6 के लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2016–17 में 1,06,766 विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया है।

क्रीड़ा छात्रवृत्ति योजना

- ✓ अनु० जाति एवं अनु० जनजाति के लड़के–लड़कियाँ को खेल–कूद में समुचित प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार द्वारा क्रीड़ा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत कोच एवं छात्र/छात्राओं

बाल विवाह एवं दहेज से संबंधित सूचना टॉल फ्री नं. 181 पर दें।

को 6 माह के लिए 700 रु० प्रति माह की दर से दिया जाता है। गत 3 वर्ष में 126 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।

परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति

- ✓ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वार्षिक परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा की जाती है। वर्ष 2016–17 में 89,765 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल 85 लाख रु० की राशि का प्रावधान है।

आवासीय विद्यालय

- ✓ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के शैक्षणिक उत्थान के लिए 80 **आवासीय विद्यालयों** का संचालन किया जा रहा है तथा 13 नए आवासीय विद्यालयों के संचालन की स्वीकृति दी गई है। पूर्व से संचालित 80 आवासीय विद्यालयों को 10+2 में उत्क्रमित किए जाने की स्वीकृति दी गई है। इसके फलस्वरूप स्वीकृत छात्रबल 57 हजार 600 हो जाएगा। इन सभी आवासीय विद्यालयों में सह–शिक्षा के तहत पठन–पाठन होगा।
- ✓ आवासीय विद्यालयों के छात्र–छात्राओं की दैनिक आवश्यकता यथा भोजन, वस्त्र, दवा इत्यादि तथा विद्यालय के रखरखाव हेतु राज्य सरकार द्वारा राशि उपलब्ध कराई जाती है।
- ✓ वर्तमान में भोजन हेतु वर्ग 1–5 तक 1210 रु० प्रतिमाह एवं वर्ग 6–12 तक 1610 रु० प्रतिमाह की दर से राशि दी जाती है। वस्त्र हेतु वर्ग 1–5 तक को 2100 रु० वार्षिक तथा वर्ग 6–12 तक को 2630 रु० वार्षिक की दर से दिया जाता है। तेल, साबुन, सोडा हेतु वर्ग 1–5 को 140 रु० प्रतिमाह तथा 6–12 को 140 रु० प्रतिमाह तथा दवा हेतु वर्ग 1–12 तक 120 रु० प्रतिमाह की दर से दिया जाता है। वहीं पठन–पाठन सामग्री के लिए वर्ग 1–5 तक 1230 रु० वार्षिक एवं वर्ग 6–12 तक 1540 रु० वार्षिक की दर से दिया जाता है।
- ✓ सरकार द्वारा 34.83 करोड़ रुपये प्रति विद्यालय की लागत से 720 शैय्या वाले आवासीय विद्यालय के भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। इसके तहत विद्यालय भवन, शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदाधिकारियों/कर्मियों के लिए आवास, पुस्तकालय, आधुनिक शौचालय, खेल–कूद का मैदान आदि का सुविधा सम्मिलित है। वर्ष 2018–19 में इस मद में अनुसूचित जाति के लिए 124.65 करोड़ रुपये एवं जनजाति के लिए 20.72 करोड़ रुपये का बजट प्रावधानित है।
- ✓ वर्ष 2016 में कुल 139 स्नातक प्रशिक्षित सेवानिवृत शिक्षकों का नियोजन किया गया था तथा वर्ष 2017 में 206 नियमित नियुक्ति की गई, जिसके फलस्वरूप वर्तमान में 377 नियमित तथा 103 नियोजित शिक्षक कार्यरत हैं, जो सृजित बल का 92.66 प्रतिशत है।
- ✓ वर्ष 2016 में कुल 121 मैट्रिक प्रशिक्षित सेवानिवृत शिक्षकों का नियोजन किया गया जिसके फलस्वरूप वर्तमान में 275 शिक्षक कार्यरत हैं, जो सृजित बल का 67 प्रतिशत है। वर्तमान वर्ष 2018–19 में बिहार कर्मचारी चयन आयोग से इन्टर प्रशिक्षित 254 नियमित शिक्षकों का अनुशंसा के आलोक में नियोजन की कार्रवाई की जा रही है।
- ✓ सभी 93 आवासीय विद्यालयों (अनुसूचित जाति+अनुसूचित जनजाति) को 10+2 में उत्क्रमण के फलस्वरूप 2179 शैक्षणिक एवं 1499 शैक्षणिक नए पदों की स्वीकृति दी गई है।

छात्रावास

- ✓ अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के छात्र/छात्राओं को पठन–पाठन की सुविधा के लिए छात्रावास संचालित है जिसमें छात्रों को उपस्कर, रसोइया–सह–सेवक की सेवाएं, रोशनी, बर्तन आदि सुविधाएं सरकारी खर्च पर उपलब्ध कराई जाती हैं।
- ✓ प्रत्येक छात्रावास में एक छात्रावास अधीक्षक होते हैं, जिन्हें सरकार द्वारा मानदेय के रूप में अधीक्षक भत्ता दिया जाता है और जिन पर छात्रावास के संचालन का उत्तरदायित्व रहता है। वर्ष 2015–16 में संचालित छात्रावासों में छात्रों के उपयोग हेतु तौलिया, बेडशीट, कम्बल, तकिया, कॉट, मच्छरदानी, मेट्रेस, स्टडी टेबल, खाना खाने एवं बनाने का बर्तन आदि की आपूर्ति की गई है।
- ✓ अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 111 छात्रावास का संचालन किया जा रहा है तथा 21 नए छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है। इन छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को उपस्कर, रसोइया–सह–सेवक की सेवाएं, रोशनी, बर्तन इत्यादि सुविधाएं सरकारी खर्च पर उपलब्ध कराई जाती हैं।
- ✓ इसकी विस्तृत जानकारी http://www.scstwelfare.bih.nic.in से प्राप्त की जा सकती है।

बिहार महादलित विकास मिशन

- ✓ बिहार महादलित विकास मिशन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त इकाई है, जिसका निबंधन 'संस्थाओं के निबंधन एक्ट 1860' के तहत करवाया गया है। बिहार महादलित विकास मिशन के अध्यक्ष विकास आयुक्त हैं।
- ✓ महादलित समुदाय के सर्वांगीण विकास की योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2007–08 में महादलित विकास मिशन का गठन किया गया है। इसके तहत विशेष विद्यालय, सामुदायिक भवन–सह–वर्क–शेड, कौशल विकास एवं रेडियो वितरण जैसी योजनाएँ ली गई हैं। महादलित टोलों में अब तक 3,270 सामुदायिक भवन–संह–वर्कशेड का निर्माण किया जा चुका है। वर्ष 2017–18 से

नये प्राक्कलन 23.764 लाख रुपये प्रति के दर से 882 सामुदायिक भवन–सह–वर्क–शेड का निर्माण कराया जा रहा है।

- ✓ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रतिवेदनानुसार अब तक 3 लाख 20 हजार 524 वास रहित अनुसूचित जाति परिवारों को 8 हजार 718 एकड़ वासभूमि उपलब्ध कराई गई है।
- ✓ महादलित समुदाय के विभिन्न विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन के लिए विभिन्न पंचायत / वार्ड में विकास मित्र कार्यरत हैं। वर्तमान में राज्य में 9532 विकास मित्र कार्यरत हैं। विकास मित्र सरकार एवं महादलित परिवारों के बीच सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाने हेतु एक कड़ी के रूप में कार्य कर रहे हैं। विकास मित्रों को मानदेय के रूप में 10,000 रु० का भुगतान किया जा रहा है। योजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण करने हेतु सभी विकास मित्रों को CUG सिम के साथ Android मोबाईल उपलब्ध कराया गया है। विकास मित्रों को साईकिल के लिए 2000 रुपए की सहायता राशि भी दी जा रही है तथा इनके प्रशिक्षण पर अब तक 5.18 करोड़ रुपये किए गए है। विकास मित्रों की सेवाएं 60 वर्ष की उम्र तक लेने तथा विकास मित्र की अप्राकृतिक मृत्यु होने पर उनके परिवार को 4 लाख रूपए अनुग्रह अनुदान देने एवं 36 माह का वेतन एक मुश्त देने का निर्णय है।
- ✓ **मुख्यमंत्री महादलित रेडियो योजना** का उद्देश्य महादलितों को समाज की मुख्य धारा में लाना था। इस हेतु 17,00,377 महादलित परिवारों को रेडियो उपलब्ध कराये गये जिसपर 67.9 करोड़ रुपए व्यय हुए।
- ✓ **दशरथ मांझी कौशल विकास योजना** के अंतर्गत महादलित परिवार के युवक एवं युवतियों के कौशल विकास हेतु रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2015–16 तक कुल 2,19,971 महादलित समुदाय के व्यक्तियों को विभिन्न ट्रेडो में प्रशिक्षण दिया गया है।
- ✓ **विशेष विद्यालय–सह–छात्रावास योजना** के तहत पटना में 150 महादलित छात्राओं एवं गया में 100 महादलित छात्राओं को योजना का लाभ दिया जा रहा है। योजनान्तर्गत पारंपरिक शिक्षा के साथ–साथ गैर पारंपरिक शिक्षा भी दी जा रही है। इसके तहत कुल 1900 महादलित छात्राओं को लाभान्वित किया गया है, जिसपर 5.49 करोड़ रु० का व्यय हुआ है।
- ✓ पूर्व में **महादलित शौचालय निर्माण योजना** का संचालन किया गया था जिसके तहत महादलित परिवार के 900 रुपए के लाभार्थी अंशदान वहन मिशन द्वारा किया जाता था जिसके तहत शौचालय निर्माण हेतु 3,47,776 परिवारों का अंशदान दिया गया था जिसमें 19.42 करोड़ रूपए का व्यय हुआ। वर्तमान में हर घर शौचालय निश्चय के तहत सभी अनुसूचित जाति के परिवारों को आच्छादित किया जा रहा है।
- ✓ **मुख्यमंत्री महादलित पोशाक योजना** वर्ष 2009–10 से 2 वर्ष तक संचालित की गई थी। इस योजना के तहत 14.71 लाख बच्चों को पोशाक दिया गया जिसपर 80.8 करोड़ रुपये व्यय किए गए। अब पोशाक का लाभ मुख्यमंत्री पोशाक योजना के तहत प्राप्त हो रहा है।
- ✓ अनु० जाति एवं अनु० जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज शिकायतों के अनुश्रवण हेतु पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत आधुनिक सुविधाओं से युक्त कॉल सेन्टर **'सहायता'** स्थापित किया गया है। अब तक 1,06,991 व्यक्तियों को कॉल सेन्टर के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई गई है।
- ✓ बिहार महादलित विकास मिशन द्वारा विकास मित्रों के माध्यम से महादलित परिवारों के विभिन्न योजनाओं के तहत आच्छादन की सूचना एकत्रित कर उसका डाटाबेस तैयार किया गया है।
- ✓ वर्ष 2018–19 से बिहार महादलित विकास मिशन द्वारा महादलितों को दिये जाने वाले लाभ राज्य के सभी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को दिए जाने की स्वीकृति दी गई है।
- ✓ इस योजना की विस्तृत जानकारी http://www.scstwelfare.bih.nic.in से प्राप्त की जा सकती है।

ममता

- ✓ राज्य के विभिन्न कॉलेज अस्पतालों में प्रसूति एवं नवजात शिशु को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सदर, अनुमंडल, रेफरल अस्पतालों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की भांति ही मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में स्वैच्छिक महिला कार्यकर्ताओं का चयन कर रखा जाना है, जिसे 'ममता' के नाम से जाना जाता है। ममता कार्यकर्ता स्वैच्छिक सेवा प्रदान करने वाली स्थानीय रविदास समुदाय की महिला है।
- ✓ प्रत्येक प्रसव पर 300 रु० की दर से ममता को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाता है जिसे कार्यरत ममता कार्यकर्ताओं के बीच में उनके द्वारा किए गए कार्य दिवस के अनुरूप बांटा जाता है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एवं संशोधन अधिनियम, 2015

- ✓ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को अत्याचार से सुरक्षा प्रदान करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एवं संशोधन अधिनियम, 2015 एवं संशोधन अधिनियम, 2016 पूरे राज्य में लागू है। इसके अंतर्गत अत्याचार पीड़ितों को सहायता प्रदान किया जा रहा है।
- ✓ वित्तीय वर्ष 2017–18 में इस योजना के तहत कुल 34.40 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई है जिससे अबतक 2976 पीड़ित व्यक्ति लाभान्वित किए गए हैं, तथा 392 लोगों को नियम के अनुसार पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए भी 34.40 करोड़ रूपये का बजट स्वीकृत है।
- ✓ प्रधान सचिव, गृह विभाग द्वारा सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को इस अधिनियम के तहत दर्ज काण्डों के शीघ्र निष्पादन हेतु निर्देश दिए गए हैं। राज्य के सभी 40 पुलिस जिलों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लिए विशेष थानों की स्थापना की गई है। अधिनियम के अन्तर्गत राज्य स्तरीय

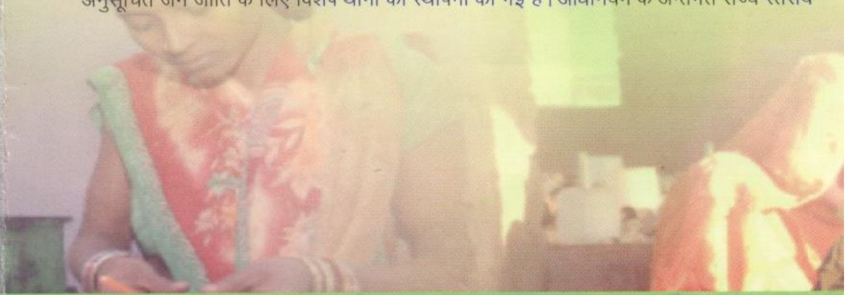

भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत 0612–2217048 पर करें।

सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति तथा विभिन्न जिलों में सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित की जा रही है।

- ✓ इस योजना की विस्तृत जानकारी http://www.scstwelfare.bih.nic.in से प्राप्त की जा सकती है।

बिहार स्टार्ट अप नीति, 2017

- ✓ राज्य में युवाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 'बिहार स्टार्ट–अप नीति, 2017' लागू की गई है। इस नीति के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उद्यमी को बीज निवेश की राशि के लिए निर्धारित सीमा के अलावे 15 प्रतिशत की अतिरिक्त आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है। यह भी प्रावधान किया गया है कि स्टार्ट अप की निधि के लिए कुल संग्रह राशि का 20 प्रतिशत अनुसूचित जाति के उद्यमियों के लिए तथा 2 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के स्टार्ट अप को प्रमाणित करने के लिए आवश्यकतानुसार मानदंडों को शिथिल करने की भी व्यवस्था है।
- ✓ इस योजना की विस्तृत जानकारी http://industries.bih.nic.in/ से प्राप्त की जा सकती है।

स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी महादलित समुदाय के टोलों/गाँवों में झंडोत्तोलन एवं विशेष समारोह का आयोजन

- ✓ सभी जिलों के महादलित टोलों / गाँवों में स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन एवं विशेष समारोह का आयोजन वर्ष 2011 से किया जा रहा है।
- ✓ राज्य मुख्यालय स्तर पर महादलित टोले में झंडोत्तोलन कार्यक्रम के आयोजन में माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सम्मिलित होते हैं। इस कार्यक्रम में उस महादलित टोले के बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा झंडोत्तोलन किया जाता है।
- ✓ जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है तथा उस जिले के प्रभारी मंत्री भी इस आयोजन में सम्मिलित होते हैं। इसके अतिरिक्त जिले में पदस्थापित सभी वरीय पदाधिकारी विभिन्न महादलित टोले / गांवों में इन आयोजनों में हिस्सा लेते हैं। इस अवसर पर स्थानीय निवासियों को स्वतंत्रता दिवस के महत्व एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं एवं उन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के तरीकों के बारे में जानकारी दी जाती है।

टोला सेवक/शिक्षा स्वयं सेवी

- ✓ सर्व शिक्षा अभियान के तहत् अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के विद्यालय से बाहर के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा से जोड़ने के उदेद्श्य से क्रमशः उत्थान केन्द्र एवं तालीमी मरकज वर्ष 2008–09 से दिसंबर 2012 तक संचालित किया गया। राज्य में 20,000 उत्थान केन्द्र टोला सेवक तथा 10,000 तालीमी मरकज शिक्षा स्वयं सेवी के माध्यम से संचालित किए गए। कालांतर में राज्य सरकार द्वारा इस योजना का विस्तार करते हुए महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना प्रारंभ किया गया जिसका उद्देश्य इन वर्गों विशेषकर महिलाओं में साक्षरता को बढ़ावा देना एवं समुदाय के बच्चों को गुणात्मक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। योजना के तहत टोला सेवक / शिक्षा स्वयंसेवी अपने टोले के 6–14 आयु वर्ग के बच्चों को जमा कर प्रारंभिक तैयारी करा कर प्रतिदिन एक साथ विद्यालय ले जाते हैं। इसके साथ ही वे 15–45 आयु वर्ग की निरक्षर महिलाओं को साक्षर बनाने एवं टोलों में सम्पर्क का कार्य करते हैं।
- ✓ टोला सेवक और शिक्षा स्वयं सेवी के द्वारा अब तक 26 लाख 25 हजार 768 बच्चों का नामांकन विद्यालय में कराने के साथ–साथ 30.53 लाख महादलित, दलित एवं अति पिछड़ा तथा 12.51 लाख अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को साक्षर बनाया गया है। इन्हें प्रतिमाह 8 हजार रुपये मानदेय दिया जाता है। इनकी सेवा अवधि 60 वर्ष की उम्र तक ली जायेगी। असामायिक निधन होने पर 4 लाख की राशि उनके परिजनों को प्रदान की जाती है।

अन्यान्य

- ✓ अनुसूचित जाति के छात्रों को संघ लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल होने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देने हेतु पटना, भागलपुर, गया, आरा (भोजपुर), सारण (छपरा), मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा विश्वविद्यालयों के तत्वाधान में एक–एक **प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र** संचालित हैं। वर्ष 2017–18 में मुंगेर, सहरसा एवं पुर्णिया में भी इन केन्द्रों के संचालन की स्वीकृति दी गयी है। प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से वर्ष 2017–18 में 543 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया है।
- ✓ चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना में **स्टूडेंट्स गाइडेंस सेन्टर** का संचालन किया जा रहा है। इसके माध्यम से प्रशिक्षणार्थियों को देश के प्रमुख प्रबंधन संस्थानों में नामांकन की सुविधा हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। इस सेन्टर के माध्यम से वर्ष 2015–16 में 117 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया।
- ✓ **बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम** द्वारा वर्ष 2004–05 से वर्ष 2017–18 तक 58,622 अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को स्वरोजगार हेतु रियायती दर पर 80.86 करोड़ ऋण एवं अनुदान दिया गया है।
- ✓ अनुसूचित जातियों के संरक्षण, कल्याण, विकास एवं अभिवृद्धि तथा उनके रक्षोपायों से संबंधित मामलों का अन्वेषण एवं अनुश्रवण हेतु राज्य **अनुसूचित जाति आयोग** का गठन किया गया है। इसके

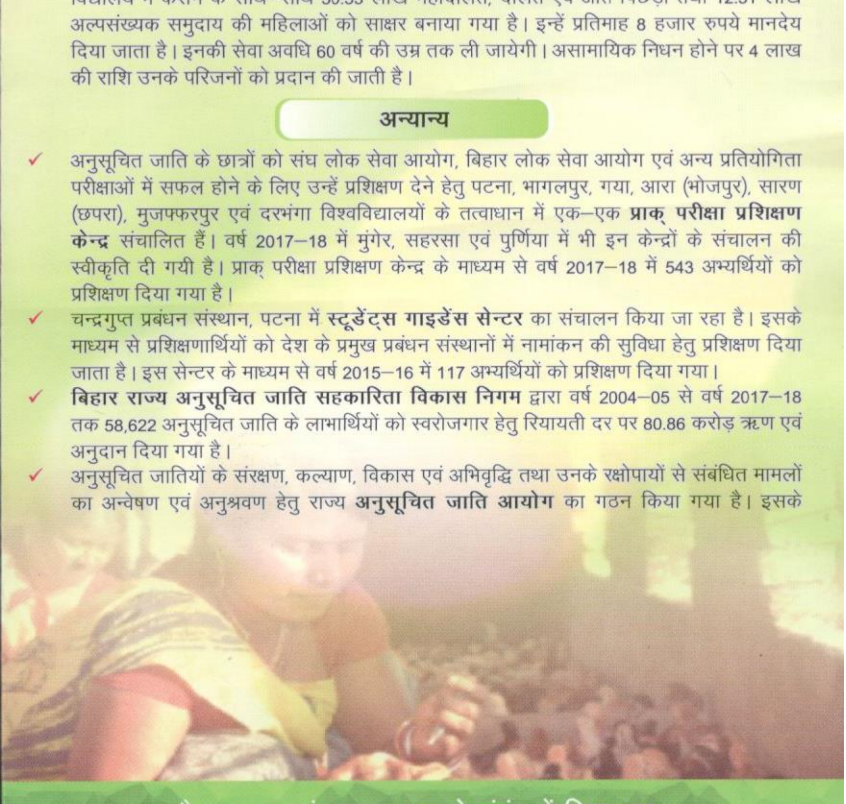

अवैध शराब एवं मादक द्रव्य के संबंध में शिकायत
टॉल फ्री नं. 18003456268 या 15545 पर करें।

अतिरिक्त इन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु अनुसूचित जनजातियों के लिए **राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग** के गठन का निर्णय लिया गया है।

- ✓ राज्याधीन सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मियों को **प्रोन्नति में आरक्षण का लाभ** देने हेतु निर्णय लिया गया है।
- ✓ बिहार स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अब तक बैंकों / बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से 1716 अनुसूचित जाति / जनजाति के विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है।
- ✓ कुशल युवा कार्यक्रम के तहत 15–28 वर्ष के युवाओं को भाषा (हिंदी / अंग्रेजी) एवं संवाद कौशल, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान एवं व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति / जनजाति के अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में 5 वर्ष छूट दी जा रही है।
- ✓ कुशल युवा कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जाति / जनजाति के कुल 71,493 अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया गया है तथा 9,563 अभ्यर्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।
- ✓ मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना अन्तर्गत अब तक अनुसूचित जाति / जनजाति के 35,930 लाभार्थियों को स्वयं सहायता भत्ता दिया गया है।
- ✓ विकसित बिहार के 7 निश्चय के तहत 'हर घर नल का जल' एवं 'घर तक पक्की गली नालियाँ' निश्चयों के क्रियान्वयन हेतु वार्ड के चयन में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिक आबादी वाले वार्डों को प्राथमिकता दी गयी है तथा वार्ड में इनकी आबादी को चयन का आधार बनाया गया है।
- ✓ ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना के तहत 100 से 249 तक की आबादी के सभी टोलों को सम्पर्कता प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 103 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के टोलों को सम्पर्कता प्रदान की गयी है।
- ✓ गरीबों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत बिहार राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में 85.12 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्रों में 74.53 प्रतिशत जनसंख्या आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित है। इसके अन्तर्गत अन्त्योदय परिवारों को 14 किलोग्राम गेहूँ एवं 21 किलोग्राम चावल कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न एवं पूर्वीकताप्राप्त लाभार्थी को 2 किलोग्राम गेहूँ एवं 3 किलोग्राम चावल कुल 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति खाद्यान्न दिया जाता है। खाद्यान्नों का दर गेहूं 2 रुपये प्रति किलोग्राम तथा चावल 3 रुपए प्रति किलोग्राम है। **राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के सभी परिवारों को इस योजना के तहत लाभान्वित करने का निर्णय लिया है।**
- ✓ अनुसूचित जाति / जनजाति कल्याण विभाग का बजट जहाँ 2005–06 में 40.48 करोड़ रूपए था वह वर्ष 2018–19 में बढ़कर 1550 करोड़ रुपये हो गया है। यह वृद्धि 38 गुणा की है।

नयी पहल

- ✓ **मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना एवं राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावासों में आवासित छात्र–छात्राओं को खाद्यान्न (गेहूं एवं चावल) की आपूर्ति**
- ✓ राज्य सरकार द्वारा छात्र / छात्राओं को उच्च शिक्षा के प्रति जागरूक एवं उच्च शिक्षा दर में वृद्धि करने के उद्देश्य एवं छात्रावास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु **मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना** लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र / छात्राओं को उनकी छात्रावास संबंधी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रति छात्र / छात्रा 1000 रु० प्रतिमाह की दर से छात्रावास अनुदान दिया जा रहा है। राशि सीधे छात्र / छात्राओं के खाते में हस्तान्तरित की जाती है।
- ✓ इसके अतिरिक्त राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावासों में आवासित अध्ययनरत छात्र / छात्राओं को सरकार ने 15 किलो मुफ्त अनाज भी दिया जा रहा है। इस योजना के तहत छात्र / छात्राओं की रूचि को देखते हुए 15 किलो में से 9 किलो चावल एवं 6 किलो गेहूँ की आपूर्ति की जा रही है।
- ✓ इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए छात्र को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावासों में आवासित होने के साथ–साथ किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत भी होना चाहिए। छात्रावास अनुदान योजना के तहत छात्रावासों में आवासित छात्रों की सूची छात्रावास अधीक्षक द्वारा विभागीय पोर्टल, **ई–कल्याण पोर्टल** पर अपलोड की जाएगी। इसका सत्यापन जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा तथा उनके स्तर से सूची अनुमोदित की जाएगी। जिला कल्याण पदाधिकारी के अनुमोदन के पश्चात प्रतिमाह छात्र / छात्राओं के बैंक खाता में छात्रावास अनुदान की राशि का अंतरण किया जाएगा।
- ✓ छात्रावासों तक खाद्यान्न की आपूर्ति बिहार राज्य खाद्य आपूर्ति निगम द्वारा डोर स्टेप डिलीवरी योजना के तहत सीधे छात्रावास में की जा रही है। खाद्यान्न की कुल लागत तथा अन्य व्यय यथा–परिवहन, हथालन, स्थापना एवं भंडारण आदि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है।
- ✓ इस योजना की विस्तृत जानकारी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति कल्याण विभाग के वेबसाइट http://www.scstwelfare.bih.nic.in से प्राप्त की जा सकती है।

मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना

- ✓ इस योजना के तहत बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा पास करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी हेतु 50,000 रु० एवं संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में पास करने वाले सभी विद्यार्थियों को 1 लाख रु० प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाता है। इस योजना के माध्यम

से प्राप्त राशि का उपयोग उनके द्वारा मुख्य परीक्षा के पूर्व परीक्षा की तैयारी के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों से कोचिंग/पर्याप्त मार्गदर्शन एवं उपयोगी पुस्तक क्रय करने में किया जा सकेगा।

- ✓ इस योजना के लिए अभ्यर्थी को बिहार राज्य का निवासी होने के साथ-साथ पूर्व से किसी भी सरकारी/लोक उपक्रम/राज्य सरकार द्वारा वित्त सम्पोषित संस्थान की सेवा में कार्यरत अथवा नियोजित नहीं होना चाहिए। इस योजना का लाभ एक ही बार देय है। यह प्रोत्साहन राशि उनके बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती है।
- ✓ सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति वर्ग के अभ्यर्थी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति कल्याण विभाग के वेबसाइट http://www.scstwelfare.bih.nic.in पर बने लिंक से किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना

- ✓ **राज्य में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को बढ़ावा देने, अनुसूचित जाति/जनजाति के युवा एवं युवतियों में उद्यमिता के विकास एवं उनके द्वारा उद्योग स्थापित करने को प्रोत्साहित करने तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु उद्योग विभाग द्वारा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना लागू की गई है।**
- ✓ इस योजना के अन्तर्गत संबंधित प्रक्षेत्र के युवा एवं युवतियों को उद्योग लगाने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये तक की राशि दी जा रही है। कुल परियोजना लागत (प्रति इकाई) का 50 प्रतिशत अर्थात् अधिकतम 5 लाख रु० ब्याज मुक्त ऋण के रूप में तथा शेष 50 प्रतिशत अधिकतम 5 लाख रु० विशेष प्रोत्साहन योजनान्तर्गत अनुदान/सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है।
- ✓ ऋण की राशि की वसूली बिहार स्टार्ट-अप फंड ट्रस्ट द्वारा 84 समान किस्तों में की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त सभी लाभुकों के प्रशिक्षण एवं परियोजना अनुश्रवण समिति की सहायता के लिए प्रति इकाई रु० 25,000 रुपये की दर से अतिरिक्त व्यय किया जा रहा है। युवाओं को राज्य के इन्क्यूबेशन सेंटर के साथ जोड़ा जाएगा। राज्य में स्थापित किये जाने वाले सभी नये उद्योगों को इस योजना का लाभ देय होगा तथा स्थापित इकाईयों को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 का भी लाभ देय होगा।
- ✓ इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र के वैसे युवा/युवती प्राप्त कर सकते हैं जो बिहार के निवासी हो, कम से कम 10+2 या इन्टरमीडियट, आई०टी०आई०, पॉलिटेकनीक डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण हों तथा इकाई प्रोपराईटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाइबेलिटी पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तहत निबंधित हो।
- ✓ मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना की विस्तृत जानकारी उद्योग विभाग के वेबसाइट http://industries.bih.nic.in/ पर बने लिंक से अथवा कॉल सेंटर से 18003456214 पर प्राप्त की जा सकती है।

सतत जीविकोपार्जन योजना

- ✓ राज्य सरकार द्वारा देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में पारम्परिक रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवार तथा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य समुदाय के लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों को वर्षभर जीविकोपार्जन की विभिन्न गतिविधियों से जोड़ने के लिए सतत् आजीविका, क्षमता निर्माण एवं वित्तीय सहायता के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण के लिए **सतत जीविकोपार्जन योजना** की शुरूआत 26 अप्रैल, 2018 को की गई। इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास विभाग अन्तर्गत जीविका के माध्यम से किया जा रहा है।
- ✓ इस योजना के अंतर्गत लक्षित परिवारों को ग्राम संगठन द्वारा चिन्हित किया जा रहा है। इन परिवारों के बीच स्वयं सहायता समूह के क्रियाकलापों एवं विशेषताओं पर व्यापक सूचनाएँ दी जा रही हैं एवं क्षमता संवर्द्धन का कार्य भी किया जा रहा है। प्रत्येक 30-50 लक्षित परिवारों के लिए एक सामुदायिक संसाधन सेवी नियुक्त किया गया है।
- ✓ इस योजना के तहत लक्षित परिवारों को जीविकोपार्जन सूक्ष्म योजना के आधार पर ग्राम संगठन द्वारा लक्षित परिवारों को एकीकृत परिसंपत्ति के सृजन हेतु 60,000 रु० से लेकर 1,00,000 रु० तक प्रति परिवार निवेश में सहयोग दिया जा रहा है तथा लक्षित परिवारों को जीविकोपार्जन गतिविधियों के फलीभूत होने तक 1000 रुपया प्रति माह (7 माह तक) सहायता राशि भी देने का प्रावधान है।
- ✓ आजीविका एवं आय की विभिन्न गतिविधियों हेतु लक्षित परिवारों को गव्य, बकरी एवं मुर्गी पालन, कृषि सम्बंधित गतिविधि, सिलाई, सब्जी, किराना, जलपान, ठेला गाड़ी, कपड़ा, बर्तन, अगरबत्ती निर्माण एवं व्यवसाय, नीरा व्यवसाय, मधुमक्खी पालन एवं स्थानीय तौर पर उसकी अभिरूचि के आजीविका के अनुरूप गतिविधियों के विकास में सहयोग प्रदान किया जा रहा है। लक्षित परिवारों के युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर उनका कौशल विकास एवं नियोजन कराए जाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। साथ ही सरकार के विभिन्न लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों से भी उन्हें सम्बद्ध किया जा रहा है।

- **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के पूराने जर्जर छात्रावास के स्थान पर चरणबद्ध तरीके से नये भवन का निर्माण किया जाएगा।**
- **मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के वैसे लाभुक जिनके द्वारा 1 जनवरी, 1996 के पूर्व समूहों में विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत आवास का निर्माण कराया गया तथा जिनका आवास जीर्ण-शीर्ण हो गया है उन्हें आवास निर्माण हेतु 1.20 लाख रुपये की सहायता राशि दी जायेगी।**
- **मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के वैसे परिवार जिनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची में शामिल है तथा उनके पास आवास का निर्माण करने हेतु वास भूमि उपलब्ध नहीं है, उन्हें वास भूमि क्रय करने हेतु प्रति लाभार्थी 60,000 रुपये की सहायता राशि दी जायेगी।**

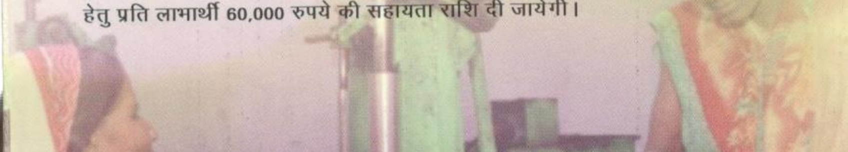

14 साल की बिटिया है, लगवाओ न तुम फेरे,
कंधों पर बस्ता दे दो, जाएगी स्कूल सुबह-सवेरे।

- **<u>मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना</u> दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन के विकास, वहां रहने वाले लोगों को परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने तथा ऐसे क्षेत्रों में रोजगार के सृजन हेतु मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना लागू की गयी है। इस योजना के तहत 4 सीट से 10 सीट तक के सवारी वाहनों का परिचालन संबंधित पंचायत से प्रखंड मुख्यालय तक किया जायेगा। प्रत्येक पंचायत के लिए 5 योग्य वाहनों की खरीद पर क्रय मूल्य की 50 प्रतिशत राशि अथवा अधिकतम 1 लाख रुपये का अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जायेगा। इन 5 वाहनों में 3 वाहन अनुसूचित जाति / जनजाति तथा 2 वाहन अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लाभुकों हेतु होंगे।**

थरुहट क्षेत्र विकास

- वर्ष 2009 में पश्चिम चम्पारण में अनु०जनजाति (थारू जनजाति सहित) के विकास हेतु **समेकित थरूहट विकास अभिकरण** का गठन किया गया था।
- थरूहट क्षेत्र विकास हेतु **समेकित थरूहट विकास अभिकरण** को वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2017–18 तक कुल 97.45 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये जिसके तहत कुल 260 योजनाएँ ली गई, जिसमें से 239 योजनाओं में कार्य पूर्ण किया गया। वर्ष 2018–19 के लिए 27.61 करोड़ रुपये का प्रावधान है जिसके तहत योजनाओं का चयन किया जा रहा है। अतः वर्ष 2010–11 से 2018–19 तक कुल 125 करोड़ रुपये, विकास योजनाओं हेतु उपलब्ध कराये गये है।
- समेकित थरूहट विकास अभिकरण को उपलब्ध कराई राशि से अबतक 49 सम्पर्क पथ, 16 जलापूर्ति, 47 पुस्तकालय, 1 बुनकर भवन, 8 स्वास्थ्य उपकेन्द्र, 2 स्टेडियम, 2 कम्प्यूटर प्रयोगशाला भवन एवं छात्राओं के लिए 16 कॉमन रूम का निर्माण इस क्षेत्र में हुआ है। इसके अतिरिक्त 85 योजनाओं में खेल सामग्री / पुस्तक का वितरण किया गया है।
- समेकित थरूहट विकास अभिकरण के माध्यम से **युवा विकास एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण योजना** के तहत वर्ष 2010–11 से 2015–16 के बीच अनुसूचित जनजाति के 2041 युवाओं को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया गया हैं। 789 को सिक्यूरिटी गार्ड, 743 को बेसिक कम्प्यूटर, 225 को ड्रेस मेकिंग, 224 को सिलाई–कटाई एवं 60 को इलेक्ट्रीशियन का प्रशिक्षण दिया गया है।
- **अनुसूचित जनजाति के लिए आवासीय विद्यालय का निर्माणः–** पश्चिम चम्पारण जिला के थरूहट क्षेत्र में 400 आसन वाले 5 आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया जा रहा है जिसमें से 4 का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है यथा–**(1)** कदमहवा(बगहा–2), **(2)** बेलसंडी(गौनहा), **(3)** मधुबनी(रामनगर) **(4)** भिरभिरिया–दुधौरा (मैनाटांड)। पश्चिम चम्पारण जिला में विकास कार्यों की समीक्षा यात्रा के क्रम में दिसम्बर, 2018 में इन 4 आवासीय विद्यालयों का उदघाटन हुआ है। पाँचवें आवासीय विद्यालयं धमौरा (गौनाहा) का निर्माण कार्य इसी माह में पूर्ण होना संभावित है। सभी 5 आवासीय विद्यालयों में 100 आसन वाले एक–एक अतिरिक्त छात्रावास के निर्माण की स्वीकृति भी दी गई।
- इसके अतिरिक्त थरूहट क्षेत्र के बेलाटांडी (रामनगर) में 34.83 करोड़ रु० की लागत से 720 आसन वाले एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिसका निर्माण कार्य बिहार राज्य भवन निर्माण निगम के माध्यम से कराया जा रहा है।
- पश्चिम चम्पारण में नये 05 अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय सहित सभी स्वीकृत नये 13 आवासीय विद्यालयों को 10+2 तक उत्क्रमित कर नये शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों का सृजन किया गया है।
- उक्त विद्यालयों में शिक्षण कार्य शुरू करने हेतु वर्ग–1 से 9 तक की कक्षाओं में नामांकन प्रक्रिया आरंभ की गई है। वर्ग–2 से 9 तक की छात्र / छात्राओं के नामांकन हेतु दिनांक–29.04.2018 को परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षाफल के आलोक में दिनांक–21.05.2018 से नामांकन कार्य आरंभ हुआ है। तत्पश्चात् शिक्षण कार्य आरंभ किया जाएगा। विद्यालयों के संचालन हेतु आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति भी की जा रही है। इन विद्यालयों में शिक्षकों का पदस्थापन प्रतिनियुक्ति के आधार पर कर दिया गया है।
- थरूहट क्षेत्र के वाल्मिकी नगर में कौशल विकास के प्रशिक्षण हेतु एक करोड़ रु० की लागत से वोकेशनल ट्रेनिंग सेन्टर का निर्माण कराया गया है।
- थरूहट क्षेत्र में थरूहट क्षेत्र विकास अभिकरण के माध्यम से 125 करोड़ रुपये, अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों के निर्माण के लिए 69 करोड़ रुपये, आवासीय विद्यालयों में अतिरिक्त छात्रावास निर्माण के लिए 17 करोड़ रुपये, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के निर्माण के लिए 35 करोड़ रुपये एवं वोकेशनल ट्रेनिंग सेन्टर के निर्माण पर 1 करोड़ रुपये व्यय किये जा रहे है। अतः अनुसूचित जाति / जनजाति कल्याण विभाग द्वारा थरूहट क्षेत्र के विकास के लिए कुल 247 करोड़ रुपये व्यय किये जा रहे है।

Design & Printed by Patna Offset Press, Patna # 9693202981

बेटी है एक वरदान। दहेज देकर मत करो अपमान।।